

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 फरवरी 2022—माघ 13, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2022

क्र. एफ ए 3-32-2017-1-पांच (05).—मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर और इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-32-2017-1-पांच-(87),¹ दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 को अधिक्रमण करते हुए, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-03-32-2017-1-पांच (72), दिनांक 21 जुलाई, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—क्रम संख्या 3 के समक्ष,—

- (1) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (iii) में, शब्दों और प्रतीकों'' संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय'' के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों'' संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (2) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vi) में, शब्दों और प्रतीकों'' संघ शासित क्षेत्र, किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय'' के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों'' संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (3) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (vii) में, शब्दों और प्रतीकों'' संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, एक सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी इकाई'' के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों'' संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (4) कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ix) और (x) में, शब्दों और प्रतीकों'' संघ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय'' के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों'' संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(5) कॉलम (5) में, शीर्षक 'शर्त' में, मद (iii), (vi), (vii), (ix) और (x) के सामने की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2022

क्र. एफ ए 3-32-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32-2017-1-पांच (05), दिनांक 2 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd February 2022

No. F-A-3-32-2017-1-V(05).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of Section 9, sub-section (1) of Section 11, sub-section (5) of Section 15, sub-section (1) of Section 16 and Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, and in supersession of this Department's notification No. F-A-3-32-2017-1-V(87), dated 16th December 2021, hereby makes the following amendments in this Department's notification No. F-A-3-32-2017-1-V(41), dated 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the TABLE, against serial number 3,—

- (1) in column (3), in the heading "Description of Service", in items (iii), (vi), (ix) and (x), for the words "Union territory, a local authority, a Government Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;
- (2) in column (3), in the heading "Description of Service", in item (vii), for the words "Union territory, local authority, a Government Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be substituted;
- (3) in column (5), in the heading "Condition", the entries against items (iii), (vi), (vii), (ix) and (x), shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.